ग्राम पंचायत झरेट, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवम उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-H(C)(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत झरेट, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जन्म सिंह जग्गी	01.04.2013 से 22.01.2016
2	श्रीमती अन्जना कुमारी	23.01.2016 से निरन्तर

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री देविन्द्र कुमार	01.04.2013 से निरन्तर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत झरेट के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण में पाई जाने वाली गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बहियों के अन्तशेषों का बैंक खातों से मिलान न करना	—
2	6	अनुदानों का उपयोग न करना	6.55
3	7	पंचायत राजस्व की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना	—
4	8	वाउचरों के बिना भुगतान	0.30
5	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय तथा स्टॉक प्रविष्टि न करना	0.59

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत झरेट, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.17 से 02.03.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न माहों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	3/2014	12/2013
2014–15	3/2015	1/2015
2015–16	3/2016	9/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख पर आधारित है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी सूचना के गलत/अपूर्ण व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत झरेट, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। इस राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 002 दिनांक 02.03.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत झरेट, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत झरेट के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013–14	118338	50458	168796	9812	158984
2014–15	158984	45340	204324	20935	183389
2015–16	183389	26293	209682	38420	171262

(ख) अनुदानः—

ग्राम पंचायत झरेट के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण, संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	619364	576291	1195655	958575	237080
2014—15	237080	400515	637595	311586	326009
2015—16	326009	596575	922584	267804	654780

4.1 बैंक समाधान विवरणः—

(i)	दिनांक 31.3.2016 को स्व स्त्रोत का अन्तशेष	₹171262
(ii)	दिनांक 31.3.2016 को अनुदान का अन्तशेष	₹654780
	योग	**₹826042**
	दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का विवरण	
(i)	खाता संख्या 21660 (PNB-Rajhoon)	91395
(ii)	खाता संख्या 080200103008914 (-do-)	38341
(iii)	खाता संख्या 20049015092 (KCCB-Dheera)	752911
(iv)	खाता संख्या 0802000103218177 (Narega)	0
	कुल योग	**₹882647**
	अन्तर	**₹56605**

अन्तर का कारणः— ग्राम पंचायत झरेट के विभिन्न बैंक खातों व रोकड़ बहियों के अन्तशेष की तुलना में ₹56605 अधिक जमा पाये गए, जिसका कारण सम्भवतः विभिन्न विभागों संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाई गई अनुदान राशि है, जिसकी पड़ताल करने के लिए सचिव, ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 25.02.2017 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक लेखों का समाधान नहीं किया गया।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः—

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान ₹6.55 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 मे अनुदान ₹654780 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 पंचायत राजस्व की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि 4/13 से 3/16 के दौरान आय की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए, क्योंकि सामान्य रोकड़ बही के अनुसार केवल एक वित्तीय वर्ष में गृहकर की वसूली की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा वर्षवार प्राप्त हुए राजस्व तथा इसके निर्धारण से सम्बन्धित विवरण, उपलब्ध न करवाने के कारण वर्षवार प्राप्त तथा बकाया राजस्व का शेष ज्ञात नहीं हो सका। अतः राजस्व मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार कर इसे जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 वाउचर तैयार न कर सीधे भुगतान करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चौकीदार, जलरक्षकों तथा पंचायत पदाधिकारियों को पारिश्रमिक का भुगतान वाउचर तैयार किये बिना ही केवल वेतनावली में प्रविष्टि करके व हस्ताक्षर करवाकर ही किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	**वा0सं0**	**भुगतान की मद**	**अवधि**	**राशि**	**वेतनावलि पृ0सं0**
1	शून्य / माह 12 / 13	चौकीदार का मानदेय तथा बकाया	11 / 2013 (08 / 13 से 10 / 13 बकाया @800 प्रतिमाह)	1800 2400	48
2	शून्य / माह 01 / 15	—यथोपरि—	12 / 2014 (04 / 2014 से 11 / 2014 बकाया @200 प्रतिमाह)	2000 1600	48
3	शून्य / माह 1 / 15	जलरक्षक का मानदेय	10 / 14 से 12 / 2014 (1350 प्रतिमाह)	4050	58
4	शून्य / माह 9 / 15	उप प्रधान का मानदेय	04 / 14 से 01 / 15 1800 प्रतिमाह	18000	46
			योग	**29850**	

वाउचर तैयार न कर सीधे भुगतान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखे, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 के प्रतिकूल है। अतः ऐसे भुगतानों के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में वाउचर तैयार करके भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

9 आपूर्तिकर्ता को किया गया अधिक भुगतानः—

वाउचर संख्या 12 / माह 12 / 13 द्वारा श्री नरेश कुमार, रझून से उनके बिल संख्या 15 दिनांक 17.12.13 के विरूद्ध 1328.3 घन फुट बोल्डर ₹10 प्रति घन फुट की दर से (13.75% वैट अतिरिक्त) क्रय कर ₹15400 का भुगतान किया गया जबकि भुगतान योग्य ₹15110 बनती है। अतः अधिक भुगतान ₹290 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.60 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय तथा स्टॉक प्रविष्टि न करनाः—

अंकेक्षणाधीन अवधि के व्यय अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में ₹59054 के स्टोर / स्टॉक का क्रय, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, लेखें, संकर्म, बजट, कराधान, भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) तथा 67 (5) में प्रावधित औपचारिकताओं को पूर्ण

किये बिना किया गया है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0सं0	वा0सं0	विवरण	आपूर्तिकार का नाम	बिल संख्या/राशि	अंकेक्षण आपत्ति
1	11 माह 12/13 (नरेगा)	25 crate size 8"x4"	श्री चन्दु राम	25 दिनांक 28.12.13 ₹43654	भाव दरें नहीं ली गई तथा स्टॉक प्रविष्टि नहीं
2	12 माह 12/13 (नरेगा)	1328.3 घन फुट बोल्डर	श्री नरेश कुमार	15 दिनांक 17.12.13 ₹15400	–यथोपरि–
			कुल योग	**₹59054**	

अतः भविष्य में नियमानुसार स्टॉक का क्रय सुनिश्चित करते हुए क्रय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके, नियमित करवाया जाये तथा नियम–72 की अनुपालना करते हुए उक्त क्रयों की स्टॉक प्रविष्टि तत्सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में करके, इनके उपयोग को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाया जाये तथा नियम–73 के अनुसार स्टॉक रजिस्टरों का सत्यापन भी समय–2 पर करवाया जाये।

11 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों का रख–रखाव अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण में, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

1 लेखा बही (account Ledger)

2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract)

3. अस्थाई अग्रिम रजिस्टर (Register of temporary Advances)

4. विभिन्न मांग व संग्रह रजिस्टर (Misc.Demand & collection Register)

5. बजट प्राक्कलन Form 11

6. T.A. Check Register

7. Stamp Register

अतः भविष्य में अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्षः—** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 97/2017—खण्ड—1—2846—2849 दिनाँकः25.05.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत झरेट, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881